न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	23.03.2015	08.12.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स भारद्वाज ऑयल मील आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक निवासी 35 कंगालपुरा वार्ड नं. 6 विराट नगर जिला जयपुर
2–श्री सुरेश भारद्वाज सोल प्रोपरायटर मैसर्स भारद्वाज ऑयल मील आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक निवासी ई–127, रामपथ श्याम नगर जयपुर राज.
3–मैसर्स भारद्वाज ऑयल मील आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक

.........अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री अजय कुमार जोशी।

:–निर्णय–: **दिनांक 08.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2014 को समय 03:55 पी.एम पर मैसर्स भारद्वाज ऑयल मील आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहॉ पर श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कैलाश चन्द शर्मा ने स्वंय को मैसर्स भारद्वाज ऑयल मील आई डी सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक राज. का मैनेजर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मील का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु **सरसों तेल हवाई घोडा (Mustard-oil Hawai Ghoora)** का 910–910 ग्राम, 455–455 ग्राम प्लास्टिक शिशियों में व 15–15 किलोग्राम लोहे के टिनों में तैयार किया जा रहा था, **सरसों तेल हवाई घोडा एगमार्क ग्रेड प्रथम (Mustard-oil Hawai Ghoora Agmark Grade I)** 455–455 ग्राम प्लास्टिक शीशियों में पोलीपैक तैयारशुदा गोदाम में आम जनता को विक्रय हेतु लगभग 85 पेपर कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 32 प्लास्टिक बोतलें

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

रखी हुई थी) रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कैलाश चन्द शर्मा को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री कैलाश चन्द शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सरसों तेल हवाई घोडा एगमार्क ग्रेड प्रथम (Mustard-oil Hawai Ghoora Agmark Grade I)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 455–455 ग्राम वजन की 4 नग पोलीपैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल हवाई घोडा एगमार्क ग्रेड प्रथम (Mustard-oil Hawai Ghoora Agmark Grade I)** के 455–455 ग्राम के चार नमूना तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–817 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–817 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 14 / 32 दिनांक 10.12.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0 / 520 / एक्ट / 2014 / 527 दिनांक 18.11.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **सरसों तेल हवाई घोडा एगमार्क ग्रेड प्रथम (Mustard-oil Hawai Ghoora Agmark Grade I)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Brand)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री अजय कुमार जोशी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल हवाई घोडा एगमार्क ग्रेड प्रथम (Mustard-oil Hawai Ghoora Agmark Grade I)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Brand)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल हवाई घोडा एगमार्क ग्रेड प्रथम (Mustard-oil Hawai Ghoora Agmark Grade I)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Brand)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 10,000/-(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक